न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर—द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : एकता काबरा, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र :39/2020
निर्णय दिनांक : 29/09/2022

1. सरोज देवी उर्फ बेबी देवी पुत्री स्व0 श्री नानगराम पत्नी श्री प्रहलाद नारायण उम्र 46 वर्ष जाति कुमावत निवासी प्लाट नम्बर 23 श्रीराम नगर ख 100 फीट रोड, कालवाड रोड झोटवाडा जयपुर।
2. राधा देवी उर्फ लाली देवी पुत्री स्व0 श्री नानगराम पत्नी श्री राधेलाल उम्र 52 वर्ष जाति कुमावत निवासी गली राजकुमार, मण्डी रामदास, मथुरा उत्तरप्रदेश।
3. रोहिताश्व उर्फ रोहित पुत्र स्व0 श्री कैलाश कुमावत उम्र 31 वर्ष निवासी उफ 102, लालकोठी स्कीम, टोंक रोड जयपुर।

—— **प्रार्थीगण**

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

—— **अप्रार्थी**

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सांगानेर पटवार हल्का भू—अभि.नि. तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे कृषि भूमि खाता संख्या नया 776 खसरा नम्बर 2022 रकबा 0.200 हैक्टेयर स्थित है। जिसमें हिस्सा 1/216 की खातेदारी प्रार्थी संख्या एक एवं हिस्सा 1/216 की खातेदारी प्रार्थी संख्या दो एवं हिस्सा 1/432 की खातेदारी प्रार्थी संख्या तीन के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। ग्राम सांगानेर पटवार हल्का सांगानेर भू.अ.नि. सांगानेर तह. सांगानेर जिला जयपुर में कृषि भूमि खाता संख्या नया 855 खसरा संख्या 2007 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2008 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2009 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2010 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2021 रकबा 0.2700 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 0.8700 हैक्टेयर स्थित है। जिसमें हिस्सा 1/108 की खातेदारी प्रार्थी संख्या एक एवं हिस्सा 1/108 की खातेदारी प्रार्थी संख्या दो एवं हिस्सा 1/216 की खातेदारी प्रार्थी संख्या तीन के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। ग्राम सांगानेर पटवार हल्का सांगानेर भू.अ.नि. सांगानेर तह. सांगानेर जिला जयपुर में कृषि भूमि खाता संख्या नया 925 खसरा नम्बर 2116 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2117 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2325 रकबा 0.2700 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.4800 हैक्टेयर स्थित है। जिसमें हिस्सा 1/36 की खातेदारी प्रार्थी संख्या एक एवं हिस्सा 1/36 की खातेदारी प्रार्थी संख्या दो एवं हिस्सा 1/72 की खातेदारी प्रार्थी संख्या तीन के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। उक्त वर्णि[illegible] एक लगायत तीन में वर्णित आराजीयात में अपने अपने [illegible] हिस्सानुसार कृषि के एकमात्र खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण स्वयं है, किन्तु अप्रार्थी के अधिक[illegible] कर्मचारियों ने सहवन से एवं लापरवाही बरतते हुए अंकन की लिपकीय भूल [illegible] हुए उक्त कृषि भूमि के विरासत नामान्तकरण का इन्द्राज करते समय प्रार्थी संख्या एक के सही एवं वास्तविक नाम सरोज देवी के स्थान पर उसका घर का बोलता नाम बेबी देवी अंकित

उप—खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ekta Karnani
Date: 2023.01.11 16:04:21 IST
Reason: SelfAttested

कर दिया तथा इसी अनुरूप प्रार्थी संख्या दो के सही एवं वास्तविक नाम राधा देवी के स्थान पर उसका घर का बोलता नाम लाली देवी अंकित कर दिया तथा इसी अनुरूप प्रार्थी संख्या 3 के सही एवं वास्तविक नाम रोहिताश्व के स्थान पर उसका घर का बोलता नाम रोहित अंकित कर दिया। जबकि प्रार्थी संख्या एक नाम सरोज देवी है प्रार्थी संख्या एक के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजात में सही व वास्ताविक नाम सरोज देवी अंकित है तथा प्रार्थी संख्या दो का सही व वास्ताविक नाम राधा देवी है जो अपने पेन कार्ड, वोटर कार्ड आदि में अंकित है तथा प्रार्थी संख्या तीन का सही व वास्तविक नाम रोहिताश्व है जो उसके वोटर आई कार्ड आदि में अंकित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी प्रार्थी संख्या एक व दो के पिता एवं प्रार्थी संख्या तीन के दादाजी श्री नानगराम के नाम राजस्व रिकार्ड में अकित थी, जिनका स्वर्गवास हो जाने पर उक्त कृषि भूमि का विरासत का नामान्तकरण प्रार्थीगण व अन्य विधिक वारिसान के हक मे खुलकर अमल हो चुका है, किन्तु अप्रार्थी के सहवनवश एवं लिपकीय भूल करते हुए नामान्तकरण में प्रार्थीगण का सही व वास्तविक नाम दर्ज नही कर घर के बालते नाम अंकित कर दिये, जो गलत है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में खातेदारी में प्रार्थी संख्या एक का नाम बेबी देवी के स्थान पर सरोज देवी, प्रार्थी संख्या दो का नाम लाली देवी के स्थान पर राधा देवी व प्रार्थी संख्या तीन का नाम रोहित के स्थान पर रोहिताश्व अंकित होना चाहिए। जिसको उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दुरूस्त फरमाया जाना आवश्यक व उचित है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि पैरा नम्बर एक लगायत तीन में भूमि के बाबत् हुए गलत इन्द्राजात को दुरूस्त कर प्रार्थीगण का सही नाम अंकन किये जाने हेतु एक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में खातेदारी में प्रार्थी संख्या एक का नाम बेबी देवी के स्थान पर सरोज देवी, प्रार्थी संख्या दो का नाम लाली देवी के स्थान पर राधा देवी व प्रार्थी संख्या तीन का नाम रोहित के स्थान पर रोहिताश्व अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार सांगानेर से रिपोर्ट प्राप्त जो पत्रावली में शामिल मिसल है। प्रार्थीगण द्वारा पेश संशोधन प्रार्थना पत्र दिनाक 25.05.2022 को स्वीकार किया गया। तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2075–78 (वर्तमान) ग्राम सांगानेर के खाता संख्या 776 में कुल किता 01 रकबा 0.20 है. में बेबी देवी पुत्री नानगराम हि. 1/216 लाली देवी पुत्री नानगाम हि. 1/216 ना.बा. रोहित पुत्र कैलाश संरक्षक सरपरस्त माता मीरा देवी पत्नी कैलाश हिस्सा 1/432 जातियान कुमावत सा. देह खातेदार व अन्य सह खातेदारान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम सांगानेर खाता संख्या 855(वर्तमान जमाबंदी) कुल किता 05 रकबा 0.87 है. में बेबी देवी पुत्री नानगराम हि. 1/108 लाली देवी पुत्री नानगराम हि. 1/108 ना. बा. रोहित पुत्र कैलाश संरक्षक सरपरस्त माता मीरा देवी पत्नी कैलाश हिस्सा 1/216 जातियान कुमावत सा. देह खातेदार व अन्य सह खातेदारान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम सांगानेर खाता संख्या 925 (वर्तमान जमाबंदी) कुल किता 3 रकबा 0.48 है. में बेबी देवी पुत्री नानगराम हि. 1/36 लाली देवी पुत्री नानगराम हि. 1/36 ना.बा. रोहित पुत्र कैलाश संरक्षक सरपरस्त माता मीरा देवी पत्नी कैलाश हिस्सा 1/72 जातियान कुमावत सा. देह खातेदार व अन्य सह खातेदारान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

ग्राम सांगानेर जमाबंदी संवत 2059–2062 क खाता संख्या 661 में अंकित नोट के अनुसार ग्राम सांगानेर के नामान्तकरण संख्या 947 दिनांक 30.01.06 विरासत

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ekta Karnani
Date: 2023.01.11 16:04:21 IST
Reason: SelfAttested

से मूलचंद पुत्र गोरधन के बजाय मनोहरलाल रतन पि. नानगराम एवं श्रीमती नाथी देवी पत्नी नानगराम, लाली देवी बेबी देवी पुत्रियां नानगराम रोहित संजय ना. बा. पुत्र कैलाश संरक्षिका माता मीरा देवी पत्नी कैलाश हि. 1/6 कमलेश पि. पूरण हि. 1/6 राजेश मुकेश पि. प्रेमचंद हिस्सा 1/6 राजेश बुद्विप्रकाश त्रिलोक मनीष पि. शंकर हि. 1/6 जगदीश अमरचंद पि. मूलचंद हिस्सा 1/3 जाति कुमावत सा. देह के नाम अमल करने की स्वीकृति का अंकन है।

वकील प्रार्थीगण ने चार क्रमशः नाथी देवी पत्नी स्व0 श्री नानगराम, मनीष पुत्र स्व0 श्री शंकर, मनोहर लाल कुमावत पुत्र स्व0 नानकराम कुमावत, संजय कुमावत पुत्र स्व0 श्री कैलाश कुमावत सहकाश्तकार के साक्ष्यस्वरूप शपथ–पत्र पेश किये। उक्त 4 सहकाश्तकार अनुसार सरोज देवी उर्फ बेबी देवी का सही व वास्तविक नाम सरोज देवी है, इसी प्रकार लाली देवी का सही व वास्तविक नाम राधा देवी एवं रोहित का सही व वास्तविक नाम रोहिताश्व है। यदि सरोज देवी, राधा देवी एवं रोहिताश्व का सही नाम राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तित कर दिया जाता है जो काई आपत्ति नही है।

वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में बहस हेतु निवेदन किया। बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई, वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत तथ्यों को दौहराया एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

हमने बहस वकील प्रार्थीगण पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने सहकाश्तकार के साक्ष्यस्वरूप शपथ–पत्र पेश किये। जिसमें सहकाश्तकारों ने सहमति प्रदान की है। उक्त 4 सहकाश्तकार अनुसार सरोज देवी उर्फ बेबी देवी का सही व वास्तविक नाम सरोज देवी है, इसी प्रकार लाली देवी का सही व वास्तविक नाम राधा देवी एवं रोहित का सही व वास्तविक नाम रोहिताश्व है। यदि सरोज देवी, राधा देवी एवं रोहिताश्व का सही नाम राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तित कर दिया जाता है जो काई आपत्ति नही है। उक्त सहकाश्तकार के साक्ष्यस्वरूप शपथ–पत्र के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम सांगानेर पटवार हल्का सांगानेर भू.अ.नि. सांगानेर तह. सांगानेर जिला जयपुर कृषि भूमि खसरा नम्बर 2022 रकबा 0.200 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2007 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2008 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2009 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2010 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2021 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2116 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2117 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2325 रकबा 0.2700 हैक्टेयर के सहखातेदार प्रार्थी संख्या एक का नाम बेबी देवी के स्थान पर सरोज देवी, प्रार्थी संख्या दो का नाम लाली देवी के स्थान पर राधा देवी व प्रार्थी संख्या तीन का नाम रोहित के स्थान पर रोहिताश्व अंकन राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश तहसीलदार सांगानेर को दिये जाकर यह भी निर्देश दिये जाते है कि यदि वादी पक्षकारान द्वारा पूर्व नाम से [illegible] व्यक्ति/ फर्म उक्त भूमि बेचान की गई हो एवं उसका राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं [illegible] तो वह बेचान भी मान्य होगा।

निर्णय आज दिनांक 29/9/2022 को खुले [illegible]य में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ekta Karnani
Date: 2023.01.11 16:04:21 IST
Reason: SelfAttested

(एकता काबरा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर